तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र संख्या 32/2019 उम्मेदमल वगैरा बनाम नैनीदेवी वगैरा।	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.06.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी अपील को रेस्टोरेशन कर पुनः स्थापित करने बाबत् में बतलाया कि उपरोक्त अनवान की राजस्व अपील न्यायालय हाजा में विचाराधीन थी। प्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने से अपीलार्थी की अपील अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित रहने की हिदायत नहीं थी तथा अपीलान्ट वकील की सद्भाविक त्रुटि थी जो जानबूझकर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील को पुनः उसी नम्बर से पुनर्स्थापित किये जाने का आदेश फरमावे। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पुनः उसी नम्बर से पुनर्स्थापित किये जाने का आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (मदनलाल नेहरा) अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर। अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:21:27 IST
Reason: SelfAttested